III/निगरानी/सीहोर/भू-रा/2017/1833

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2017

ओमप्रकाश वर्मा आ. श्री रामचरण वर्मा आयु 48 वर्ष

निवासी ग्राम मुगली तहसील आष्टा जिला सीहोर। ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म0प्र0 शासन।..रेस्पाण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 26/04/2017 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार महोदय, आष्टा द्वारा पारित किया गया।

अभिभावक श्री .... द्वारा आज दिनांक 1/6/17 को पेश। अधीक्षक

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः-

01. कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग आष्टा के पास उपलब्ध संपूर्ण प्रकरण की नस्ती।

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा क्षैत्राधिकार से परे जाकर पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हैः-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ नायब तहसीलदार महोदय, आष्टा के द्वारा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर दिनांक 26/04/2017 को विधि एवं प्रक्रिया एवं राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया के विपरीत जाकर म.प्र.भू.रा.सं. की धारा के विपरीत जाकर मांग सूचना पत्र 7,67,291/-रूप्ये का प्रेषित किया गया जिसे निम्न विधिक आधारों पर चुनौती दी जाती हैः-

निरंतर पेज 2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / सीहोर / भू0रा0 / 2017 / 1833

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
0) —9—2017	आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार आष्टा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—4—2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा आवेदक को मांग सूचना पत्र जारी कर रूपये 767291 / — की वसूली हेतु जारी किया है। आवेदक का मुख्य रूप से यही तर्क है कि अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा किस आधार पर वसूली हेतु सूचना पत्र जारी किया है। आवेदक द्वारा उठाये गये तर्क अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एम0 अली) सदस्य	